



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी 1-विकास, 2-प्रिया को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ आजीवन कारावास व 42,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1-विकास पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत व 2- प्रिया पत्नी स्व0 राहुल निवासी मौहल्ला शताब्दी नगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2021 में हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 730/2021 धारा 302/34/201 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-04 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त 1-विकास, 2-प्रिया को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 42,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री अशोक सैनी
एडीजीसी



का0 प्रवीण कुमार
कोर्ट पेंरोकार

विवेचक-निरीक्षक श्री रविरतन सिंह
(तत्कालीन थाना प्रभारी बड़ौत)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सत्तार को हुई 02 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सत्तार पुत्र मून कुरैशी निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 06/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सत्तार को हुई 02 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद
बागपत



का0 सुनील कुमार कोर्ट
पेंरोकार थाना बिनौली

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में मारपीट करने के आरोपी 1-महेश व 2-हर्ष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 03 वर्ष का कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त 1-महेश पुत्र चिरंजी, 2- हर्ष पुत्र महेश निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 343/2022 धारा 323/325/308/504/506/342 भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.08.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल एससी एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त 1-महेश व 2-हर्ष प्रत्येक को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री इन्द्रपाल
एडीजीसी
जनपद
बागपत



है0का0
बुद्धप्रकाश
कोर्ट
पेंरोकार

विवेचक-क्षेत्राधिकारी श्री
देवेन्द्र कुमार शर्मा
(तत्कालीन क्षेत्राधिकारी
नगर बागपत)



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 25.08.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/25 धारा 253 बीएनएस में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त
एक अर्टिगा कार नं0 UK-08TA-9282 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

14.05.2025 को
थाना बिनौली पर
वादी श्री गजेन्द्र
तोमर पुत्र गम्भीर
सिंह निवासी ग्राम
सिरसली थाना



बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आयुष पुत्र सतेन्द्र 2. अर्जुन पुत्र सतेन्द्र नि0गण ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत व 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के बड़े भाई धर्मेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह वर्तमान ग्राम प्रधान सिरसली को गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से उसके ऊपर कई फायर किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा साथ में बैठे विनीत पुत्र तेजवीर सिंह निवासी ग्राम सिरसली भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया । वादी के भाई धर्मेन्द्र उपरोक्त को मेरठ में न्युट्रिमा अस्पताल के डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया । उपरोक्त सम्पूर्ण घटना अभियुक्त निर्भय सिंह पुत्र जिहाना निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा कराई गई है । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 61(2)/109(1)/103(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 144/25 धारा 253 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अर्टिगा गाडी नं० UK-08TA-9282 बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मैकहोम उर्फ मनीष पुत्र यादराम निवासी इनामपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री हिमान्शु सागर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 714 रविन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 25.08.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 250/25 धारा
333/64(1)/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 250/25 धारा 333/64(1)/351(3)



बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इन्तजार पुत्र यूसुफ निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 648 चौब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 435 प्रणवीर थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 25.08.2025

बागपत पुलिस ने 21 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 21 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-देवकुमार पुत्र राममेहर निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-रहीस पुत्र हमीद उर्फ मिद्दा निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-आबिद पुत्र युनुस निवासी ग्राम खड़खड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

4-सुनील पुत्र राजकुमार निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

5-अनुज पुत्र गंगापाल निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

6-मोबीन पुत्र यामीन निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

7-नवाब पुत्र सादी निवासी ग्राम बडका थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

8-अजीत पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



- 9-छोटू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत ।
10-चंगेज पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम लोहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
11-शब्बीर पुत्र रसीद निवासी ग्राम लोहड्डा थाना बडौत जनपद बागपत ।
12-राहुल पुत्र भैरू उर्फ मैसू निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।
13-01 वारण्टी अभियुक्ता ।
14-01 वारण्टी अभियुक्ता ।
15- देशबीर पुत्र बिरम सिंह उर्फ ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
16-राममेहर पुत्र ईलमचन्दर निवासी पट्टी हेली ग्राम व थाना रमाला बागपत ।
17-जौनी पुत्र बिल्लू उर्फ धर्मवीर निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
18-उदयवीर पुत्र हरपाल निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
19- राशिद उर्फ राशू पुत्र नूर निवासी ग्राम मांगरौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
20- पवन पुत्र किरणपाल निवासी करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
21-अनुज पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना बडौत पुलिस टीम । (14 वारंटी)
2-थाना दोघट पुलिस टीम । (03 वारंटी)
3-थाना रमाला पुलिस टीम । (01 वारंटी)
4-थाना बालैनी पुलिस टीम । (01 वारंटी)
5-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (01 वारंटी)
6-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)